

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

2024 - 37 / 2024  
शुभान :-

1. राजेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।



बनाम

1. बृजलाल पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
2. लालचन्द पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
4. सुन्दरदेवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान  
कास्तकारी अधिनियम


उपरिस्थिति :- श्री विनोद पुनियां वादी  
श्री उम्मेद मोठसरां प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 30/12/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 के 0आर0पी के खाता सं0 102/86 के मु0 न0 11 के किला न0 17, 18, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0 न0 20 के किला न0 1/1 0.228 है0 नहरी, किला न0 1/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 2/1 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 2/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, किला न0 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0 न0 27 के किला न0 6, 7, 15 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी, मु0 न0 28 के किला न0 10, 11, 12 प्रत्येक किला की 0.253 है0 बरानी, किला न0 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253 है0 बरानी, मु0 न0 71 के किला न0 1/2 की 0.084 है0 नहरी, किला न0 2/3 की 0.200 है0 नहरी, किला न0 2/4 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 3/3 की 0.200 है0 नहरी, किला न0 3/4 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 4/3 की 0.200 है0 नहरी, किला न0 4/4 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 7, 8 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी कुल रकबा 7.3370 है0 जिसमें से 5.9470 है0 नहरी, 0.125 है0 गै0 मु0 खाला, 1.265 है0 बरानी जिसमें से नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 बृजलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिंति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को ज्ञापित किया गया। समान मामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 3 ता 4 ने आपसी संझौते से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 2 ने जमान की समी मय संझौतों को स्वीकार किया। जमाना पेश किया व प्रतिवादी सं० 6 स्टेट की ओर से जमान पेश किया गया।

वहसा वकील उभायधकमसन शुनी मई। दौरान वहसा वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से एक बिरसा निहित है अतः गुणाधिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिसे पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहसा पर माना किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने संझौता वाक 3 के०आर०पी के खाला सं० 102/88 के मु० न० 11 के किला न० 17, 18, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 20 के किला न० 1/1 0.228है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 18 ता 0.25है० गै० मु० खाला, किला न० 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 27 के किला न० 6, 7, 15 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 28 के किला न० 10, 11, 12 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी, किला न० 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी, मु० न० 71 के किला न० 1/2 की 0.084है० नहरी, किला न० 2/3 की 0.200है० नहरी, किला न० 2/4 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 3/3 की 0.200है० नहरी, किला न० 3/4 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 4/3 की 0.200है० नहरी, किला न० 4/4 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 7.3370है० जिसमें से 5.9470है० नहरी, 0.125है० गै० मु० खाला, 1.265है० बारानी जिसमें से नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 वृजलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दरलावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से एक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण एक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि सेही मंजूर चक 3 के०आर०पी के खाला सं० 102/88 के मु० न० 11 के किला न० 17, 18, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 20 के किला न० 1/1 0.228है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 2/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 27 के किला न० 6, 7, 15 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 28 के किला न० 10, 11, 12 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी, किला न० 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी, मु० न० 71 के किला न० 1/2 की 0.084है० नहरी, किला न० 2/3 की 0.200है० नहरी, किला न० 2/4 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला

3 की 0.200 है 0 नहरी, जिला नं 3 / 4 की 0.025 है 0 मी 0 गु 0 खाला, जिला नं 10 4 / 3 की 0.025 है 0 नहरी, जिला नं 10 4 / 4 की 0.025 है 0 मी 0 गु 0 खाला, जिला नं 10 7, 8 प्रत्येक जिला की 0.025 है 0 नहरी कुल रकबा 7.3370 है 0 जिरामें से 5.9470 है 0 नहरी, 0.125 है 0 मी 0 गु 0 खाला, 1. 0.025 है 0 बरानी जिरामें से नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 वृजलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं 1 वृजलाल अकेले के बजाए वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं 1 वृजलाल व 2 लालचन्द को बहिरसा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में

समाप्त गया।



(कल्पित विवरण)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S.  
भाद्राखण्ड, अधिसूचना (राजस्व)  
भाद्रा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

शायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

सं० न० - 37/2024

अनवान : -

1. राजेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी करणपुरा त० भादरा।

वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी करणपुरा त० भादरा।
2. लालचन्द पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी करणपुरा त० भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी करणपुरा त० भादरा।
4. सुन्दरदेवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी करणपुरा त० भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के सम्मुख वकील वादी श्री विनोद पूनियां व वकील प्रतिवादीगण श्री उममेद मोठसरां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 के0आर0पी के खाता सं० 102/86 के मु० न० 11 के किला न० 17, 18, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 20 के किला न० 1/1 0.228है० नहरी, किला न० 1/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 2/1 की 0.228है० नहरी, किला न० 18 ता 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, किला न० 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 27 के किला न० 6, 7, 15 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी, मु० न० 28 के किला न० 10, 11, 12 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी, किला न० 19, 20 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी, मु० न० 71 के किला न० 1/2 की 0.084है० नहरी, किला न० 2/3 की 0.200है० नहरी, किला न० 2/4 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 3/3 की 0.200है० नहरी, किला न० 3/4 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 4/3 की 0.200है० नहरी, किला न० 4/4 की 0.025है० गै० मु० खाला, किला न० 7, 8 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी कुल रकबा 7.3370है० जिसमें से 5.9470है० नहरी, 0.125है० गै० मु० खाला, 1.265है० बारानी जिसमें से नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल अकेले के बजाए वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल व 2 लालचन्द को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार कार्रकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पचा डिक्री आज दिनांक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी गई।



(कल्पित शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), A.S.  
उपखण्ड (अधिकारी राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़